I/60900/2022
I/60900/2022

संख्या– 333 / VI-3 / 2022–2(5)2007

प्रेषक,

**अभिनव कुमार,**
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**खेलकूद अनुभाग** **देहरादून : दिनांक 06 सितम्बर, 2022**

**विषयः– विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–59 / प0वि0खि0पत्रा / 2021–22, दिनांक 12 अप्रैल, 2022, पत्र संख्या–448 / खे0नी0शासना0पत्रा / 2022–23, दिनांक 13 जून, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या–404 / VI-1 / 09–2(5)2007, दिनांक 30 सितम्बर, 2009, अधिसूचना संख्या–69 / VI-2 / 2015–33(7)2014, दिनांक 16 जनवरी, 2015, शासनादेश संख्या–155 / VI-2 / 2015–2(5)2007, दिनांक 16 फरवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या–875 / VI / 2016–2(5)2007, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलो में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, जनमानस का खेलों के प्रति रूझान बढ़ाने, खेल संस्कृति की अभिवृद्धि करने, खिलाड़ियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने, प्रदेश में अनुकूल खेल वातावरण सृजन करने, प्रदेश की खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सृजित अवस्थापनाओं का उत्पादक उपयोग करने के उद्देश्य को संज्ञान में लेते हुये ***"श्री राज्यपाल महोदय"*** विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिये जाने हेतु "खेल नीति–2021" की अधिसूचना संख्या–938 / VI-3 / 2021–33(07)2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में निम्नानुसार पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**(तालिका–1)**

| क्र0सं0 | टूर्नामेन्ट्स / चैम्पियनशिप | पदक | धनराशि (खिलाड़ियों हेतु) |
|---|---|---|---|
| 01 | ओलपिक खेल | स्वर्ण | 2,00,00,000 |
| | | रजत | 1,50,00,000 |
| | | कांस्य | 1,00,00,000 |
| | | प्रतिभाग | 50,00,000 |
| 02 | विश्व कप / विश्व चैम्पियनशिप | स्वर्ण | 30,00,000 |
| | | रजत | 20,00,000 |
| | | कांस्य | 15,00,000 |
| | | प्रतिभाग | 7,50,000 |
| 03 | एशियन खेल | स्वर्ण | 30,00,000 |
| | | रजत | 20,00,000 |
| | | कांस्य | 15,00,000 |
| | | प्रतिभाग | 7,50,000 |



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 07/09/2022 11:41 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 | राष्ट्रमण्डल खेल | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य<br>प्रतिभाग | 20,00,000<br>15,00,000<br>10,00,000<br>5,00,000 |
| 05 | एशियन चैम्पियनशिप | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 12,00,000<br>8,00,000<br>6,00,000 |
| 06 | कॉमनवैल्थ चैम्पियनशिप | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 6,00,000<br>4,00,000<br>3,00,000 |
| 07 | सैफ खेल | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 6,00,000<br>4,00,000<br>3,00,000 |
| 08 | राष्ट्रीय खेल | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 6,00,000<br>4,00,000<br>3,00,000 |
| 09 | राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स/वर्ल्ड स्कूल गेम्स/वर्ल्ड पुलिस गेम्स | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 2,00,000<br>1,00,000<br>75,000 |
| 10 | अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग) | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 75,000<br>50,000<br>25,000 |
| 11 | राष्ट्रीय स्कूल खेल/खेलो इण्डिया प्रतियोगिताएं/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव/अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 30,000<br>20,000<br>10,000 |
| 12 | ऑल इण्डिया विश्व विद्यालय टूर्नामेन्टस/चैम्पियनशिप/खेलों इण्डिया विश्व विद्यालय प्रतियोगिताएं | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 30,000<br>20,000<br>10,000 |
| 13 | राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताएं/अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 30,000<br>20,000<br>10,000 |
| 14 | राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप (सभी आयु वर्ग) | स्वर्ण<br>रजत<br>कांस्य | 30,000<br>20,000<br>10,000 |

**उक्त धनराशि बिंदु संख्या–IV (4) के अनुसार नियत की जाएगी।**

**<u>जूनियर, यूथ, सबजूनियर एवं कैडेट हेतु</u> :–**

**(तालिका–2)**

| क्र0 सं0 | वर्ग का नाम | पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जूनियर एवं यूथ हेतु | सीनियर वर्ग की राशि का आधा भाग |
| 2 | सबजूनियर, कब एवं कैडेट | सीनियर वर्ग की राशि का एक चौथाई भाग |

## टीम स्पर्धाओं हेतु कैटेगरी

टीम स्पर्धाओं के लिए एक से अधिक सदस्यों की प्रतिभागिता हो, उन्हें उपरोक्त तालिका में ईवेन्ट, स्तर, पदक तथा कैटैगरी में वर्णित पुरस्कार राशि निम्न अनुपात के अनुसार टीम के सभी सदस्यों को बराबर–बराबर बॉटकर दी जायेगी :–

(तालिका–3)

| क्र. सं0 | टीम में खिलाड़ियों की **संख्या** | व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दिये जाने वाले **पुरस्कार** की राशि का गुणांक |
|---|---|---|
| **1** | 02 सदस्य | 1.5 गुणा |
| **2** | 03 अथवा 04 खिलाड़ी | 02 गुणा |
| **3** | 05 से 10 खिलाड़ी | 03 गुणा |
| **4** | 10 से ज्यादा खिलाड़ी | 05 गुणा |

प्रशिक्षक हेतु उक्तानुसार **तालिका–1** में खिलाड़ियों द्वारा अर्जित पदक के आधार पर **तालिका–2** के अनुसार खिलाड़ियों को संस्तुत/देय धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षक को प्रदान किया जायेगा। एक खिलाड़ी के एक से अधिक प्रशिक्षक होने की दशा में खिलाड़ियों द्वारा अर्जित पदक के आधार पर खिलाड़ियों को संस्तुत/देय धनराशि का 50 प्रतिशत की धनराशि सभी प्रशिक्षकों को बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

यदि प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित उसी खिलाड़ी अथवा अन्य खिलाड़ियों ने भी पदक अर्जित किये हो तो दूसरे प्रत्येक पदक के लिये प्रशिक्षक को उस पदक राशि का 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। यदि खिलाड़ी विशेष को एक से अधिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो और इसकी पुष्टि खिलाड़ी द्वारा की गई हो तो प्राप्त प्रोत्साहन राशि सभी प्रशिक्षकों में बराबर बांट दी जायेगी।

## IV. पुरस्कार हेतु दिशा–निर्देश:–

**1.** खेल नीति–2021 में उल्लेखित **कोर खेल विधाओं** में उल्लेखित खेलों हेतु ही नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

**2.** कोर खेल विधाओं में उल्लेखित खेलों को यदि भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता रद्द करती है, तो उन खेलों में नकद पुरस्कार प्रदान नहीं किया जायेगा।

**3.** **तालिका–1** में उल्लेखित प्रतियोगिता सामान्य प्रतियोगिताओं के साथ ही पैरा/डैफ/ब्लांइडप्रतियोगिताओं हेतु भी मान्य होगी।

**4. तालिका–1 में उल्लेखित राशि 04 वर्ष में आयोजित प्रतियोगिता हेतु होगी। यदि 02 वर्ष में एक बार अथवा प्रतिवर्ष कोई प्रतियोगिता होगी उसकी राशि क्रमशः $^1/_2$ एवं $^1/_4$ कर दी जाएगी।**

**5.** एक से अधिक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होने पर केवल एक प्रतियोगिता, जिसे संबंधित राष्ट्रीय संघ द्वारा चिह्नित किया जाए, उसमें पदक विजेता को ही लाभ मिलेगा। ऐसी किसी भी दुविधा की स्थिति में खेल निदेशालय को अंतिम निर्णय का अधिकार होगा।

**6.** उक्त पुरस्कार निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को ही प्रदान किये जायेंगे–

**(क)** खिलाड़ी द्वारा अधिकारिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम में चयन होने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य की टीम के खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया हो।

**(ख)** पुरस्कार छमाही रूप से प्रदर्शन के आधार पर वैयक्तिक रूप से दिया जायेगा, जिस हेतु खिलाड़ियों को जनवरी से जून की उपलब्धियों को माह जुलाई में आवेदित करना होगा। इसी प्रकार जुलाई से दिसम्बर की उपलब्धियों को माह जनवरी में आवेदित करना होगा। आवेदन हेतु पृथक से प्रत्येकवार आवेदन पत्र जारी नहीं किये जायेगें वरन् खिलाड़ियों द्वारा खेल विभाग के निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचना अंकित कर संलग्नक सहित उपलब्ध कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक खेल प्रमाण–पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायेगी तथा संबंधित राज्य खेल संघ ों द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 07/09/2022 11:41 AM

**(ग)** नकद पुरस्कार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/चैंपियनशिप में प्राप्त प्रत्येक पदक के आधार पर खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षकों को अलग–अलग **प्रत्येक पदक** के लिए दिया जायेगा।

**(घ)** उपरोक्त प्रतियोगिताओं के सफल खिलाड़ियों/टीमों के ऐसे प्रशिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जिसके द्वारा खिलाड़ी कोनियमित रूप से मेडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों तथा इस संबंध में खिलाड़ी द्वारा रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट प्रस्तुत करने पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा/मान्य होगा।

**(च)** खिलाड़ी द्वारा **तालिका–1** में उल्लेखित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य से प्रतिभाग का खेल प्रमाण–पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

**7.** कुछ खेलों की विश्व/एशिया/कॉमनवैल्थ एवं राष्ट्रीय प्रतियोगितायें (सभी वर्गों की) एक वर्ष में एक से अधिक बार आयोजित करायी जाती हैं, ऐसी प्रतियोगितायें पुरस्कारों हेतु मान्य नहीं होंगी।

**8.** खिलाड़ी से आशय ऐसे व्यक्तियों से है, जो **तालिका–1** के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं/खेलों में पदक अर्जित किया हो।

**9.** ओलम्पिक/विश्वकप/एशियन खेल/राष्ट्रमंडल खेलों में चयन उपरान्त खिलाड़ी को संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु मान्य धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे उस प्रतियोगिता की पुरस्कार/प्रतिभाग धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा। यदि खिलाड़ी द्वारा संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं करता है, तो अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गई धनराशि विभाग को वापस करनी होगी।

**10.** प्रशिक्षक का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों से खेल में 01 वर्षीय डिप्लोमाधारी या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ से प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र धारक हो।

**11.** योजनान्तर्गत मात्र वही प्रशिक्षक पुरस्कार के पात्र होगें, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो।

**12.** आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक खेल प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायेंगी तथा सम्बन्धित राज्य खेल संघों द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।

**13.** पुरस्कार राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण निदेशक खेल द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

**14.** नेशनल स्कूल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा, विश्व/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/चैंम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा, खेलों इंडिया, भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से संबंधित खेल प्रमाण–पत्रों को सत्यापित कराकर आवेदन पत्र खेल निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र बिना सत्यापन के स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**15.** **तालिका–2** में अंकित श्रेणियों के आयुवर्ग में विवाद होने की स्थिति में जूनियर यूथ, सब जूनियर, कब एवं कैडेट कैटेगरी का निर्धारण संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुरूप होगा।

**16.** उक्त शासनादेश खेल नीति–2021 के जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा।



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 07/09/2022 11:41 AM

60900/2022
I/60900/2022

**17.** उक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवक सेवायें–104–खेलकूद–21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

**18.** यह शासनादेश वित्त विभाग के e-office आई0डी0 संख्या–I/60179/2022, दिनांक 01 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

**भवदीय,**

Signed by Abhinav Kumar
Date: 06-09-2022 10:12:26

**(अभिनव कुमार)**
**विशेष प्रमुख सचिव।**

<u>पृष्ठांकन संख्या–333 /**VI-3**/2022–2(5)2007, तद्दिनांकित</u>।

**प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

**(जितेन्द्र कुमार सोनकर)**
**अपर सचिव।**



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 07/09/2022 11:41 AM